

झारखंड सरकार  
झारखंड राज्य खाद्य आयोग

पत्रांक-रा0खा0आ0-(नोटिस) 18/19-574 राँची, दिनांक 26.12.19

- कोर्ट नोटिस-

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,  
गिरिडीह।

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी,  
बिरनी, जिला-गिरिडीह।

विषय :-

श्रीमती गोमिया देवी, पति-स्व0 देवकी साव, ग्राम सिरियाडीह, पंचायत केसोडीह, प्रखंड-बिरनी, जिला-गिरिडीह द्वारा प्राप्त शिकायत आवेदन के मामले में दिनांक 22.01.2020 को 12.30 बजे अप0 में राज्य खाद्य आयोग में विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से किये जाने वाली सुनवाई के दौरान उपस्थित होने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्रीमती गोमिया देवी, पति-स्व0 देवकी साव, ग्राम सिरियाडीह, पंचायत केसोडीह, प्रखंड-जिला-गिरिडीह द्वारा प्राप्त शिकायत आवेदन की प्रति संलग्न करते हुए सूचित करना है कि उक्त मामले की सुनवाई दिनांक 22.01.2020 को 12.30 बजे अप0 में राज्य खाद्य आयोग कार्यालय में विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रज्ञा केन्द्र (संचालक-किशोर कुमारी भारती), ग्राम/पो0-केशोडीह, पंचायत केशोडीह प्रखंड-बिरनी से की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि राज्य खाद्य आयोग कार्यालय, पता-आवास स0 ई0-1/8, साकेत नगर हिनू, राँची में आप सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने हेतु साक्ष्य सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,

( नरेश प्रसाद केवट )

अवर सचिव,

झारखंड राज्य खाद्य आयोग।

ज्ञापांक-रा0खा0आ0-(नोटिस) 18/19-574 राँची, दिनांक 26.12.19

प्रतिलिपि-श्रीमती गोमिया देवी, पति-स्व0 देवकी साव, ग्राम सिरियाडीह, पंचायत केसोडीह, प्रखंड-बिरनी, जिला-गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि सुनवाई के दौरान 12.30 बजे अपराहन में प्रज्ञा केन्द्र(संचालक-किशोर कुमारी भारती) ग्राम/पो0-केशोडीह, पंचायत केशोडीह प्रखंड-बिरनी में उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी।

अवर सचिव,

झारखंड राज्य खाद्य आयोग।

ज्ञापांक-रा0खा0आ0-(नोटिस) 18/19-574 राँची, दिनांक 26.12.19

प्रतिलिपि-श्री शंभु कुमार, राज्य प्रमुख, प्रज्ञा केन्द्र को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रज्ञा केन्द्र (संचालक-किशोर कुमारी भारती मो0-8709208705, ई.मेल.आई.डी KishorBharti82@gmail.com) ग्राम/पो0-केशोडीह, पंचायत केशोडीह प्रखंड-बिरनी को अपने स्तर से पत्र प्राप्त कराते हुए श्री मती श्रीमती गोमिया देवी, पति-स्व0 देवकी साव, ग्राम सिरियाडीह, पंचायत केसोडीह, प्रखंड-बिरनी, जिला-गिरिडीह को सुनवाई से संबंधित पत्र प्राप्त करा दिया तथा प्राप्ति की सूचना आयोग के वेबसाइट [Jharkhandsfc.in](http://Jharkhandsfc.in) पर लोड कर दिया जाय।

अवर सचिव,

झारखंड राज्य खाद्य आयोग।

0/C